न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 25/2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/57

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. (विक्रेता/मेनेजर) श्री गजेन्द्र सिसोदिया पुत्र श्री रणजीत निवासी सूरजपूर, पोस्ट लपनिया तह. साबला जिला डूंगरपूर 314038 मो.नं. 9316238006 (मालिक) श्री गिरिश जोशी पुत्र श्री गणेश लाल जोशी मैसर्स– कृष्णा पेलेस फेमेली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 113, बाई पास कुपडा बांसवाडा (राज) फोन नं. 9114104477
2. श्री आयुष जैन पुत्र श्री विरेन्द्र जैन (विक्रेता/मालिक) निवासी बाहुबली कोलोनी बांसवाडा मैसर्स– **Sanmati Associates,** बाहुबली कोलोनी चेतक कोम्पलेक्स, बांसवाडा मो.नं. 7023543540, 9001185321
3. श्री संजय कुमार पांचोरी पुत्र श्री अमृत लाल जैन (विक्रेता/मालिक) निवासी 116, सेक्टर 2 खांदू कोलोनी, बांसवाडा मैसर्स– **Padam Shree Enterprise old bus stand, Banswara Mob. No 9414103479**
4. **Gajera Devendra kumar** (नोमिनी) मैसर्स **Emami Egrotech limited location 2 Gujarat India Plot No 49 Smart Industrical Port city, Kandla 370210 Mob. No 9414103479**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12–05–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार [illegible] लाल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के [illegible] दिनांक **22–02–2024** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **24–02–2023** को 12.10 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स कृष्णा**

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

पेलेस फेमेली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 113, बाई पास कुपडा बांसवाडा (राज) पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर (विक्रेता/मेनेजर) श्री गजेन्द्र सिसोदिया पुत्र श्री रणजीत उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स कृष्णा पेलेस फेमेली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 113, बाई पास कुपडा बांसवाडा (राज) का निरीक्षण करने पर संस्थान में खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस) एक तेल के पीपे में 12 लीटर किचन में रखा हुआ था। उक्त** खाद्य पदार्थ **में** मिलावट का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस) 2 लीटर** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 260/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस) 2 लीटर के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1310** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/217 दिनांक 04–04–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 202 दिनांक 03–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1310** Substandard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने के द्वितीय भाग की जांच करवाने बाबत् फार्म नं. 8 में आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) बांसवाडा को आवेदन प्रस्तुत नही किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स कृष्णा पेलेस फेमेली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 113, बाई पास कुपडा को फर्म से सम्बन्धित सूचनाऐं चाहने हेतु पत्र लिखा जिसके जवाब में उक्त फर्म द्वारा मैसर्स Sanmati Associates, बांसवाडा से अग्रीम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:53:58 IST
Reason: SelfAttested

मैसर्स Sanmati Associates, बांसवाडा को फर्म से सम्बन्धित सूचनाऐं चाहने हेतु पत्र लिखा जिसके जवाब में उक्त फर्म द्वारा मैसर्स Padam Shree Enterprise old bus stand, Banswara से अग्रीम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

मैसर्स Padam Shree Enterprise old bus stand, Banswara को फर्म से सम्बन्धित सूचनाऐं चाहने हेतु पत्र लिखा जिसके जवाब में उक्त फर्म द्वारा **मैसर्स** Emami Egrotech limited, Kandla से अग्रीम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया।

विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 27–02–2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 26–03–2024 को अप्रार्थी सं. 1 से 3 के नोटिस बाद तामील पेश हुए एवं दिनांक 06.04.2024 को अप्रार्थी सं. 4 की ओर से श्री राजकुमार जैन, श्री अनुराग जैन, श्रीमती शिखा जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ।

दिनांक 09.07.2024 को अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। दिनांक 14.10.2021 को अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकरोक्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है वह इसकी पुनरावृत्ति नही करेंगे। उक्त पत्रावली पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निस्तारित फरमावे।

दिनांक 06.01.2026 को अप्रार्थी सं. 4 की ओर से अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। दिनांक 12.05.2026 को विभागीय पैरोकार व अप्रार्थी सं. 4 के अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस प्रस्तुत की। अप्रार्थी सं. 4 के अधिवक्ता ने लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए मुख्य रुप से यह कथन किया कि प्रकरण में आवेदक द्वारा सैम्पल दिनांक 24.02.2023 को लिया गया था। धारा 77 के तहत किसी भी सैम्पल जिसे जांच वास्ते खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया हो उसका परिवाद नमूना सग्रहित करने की दिनांक से धारा 68 के अंतर्गत एक साल के भीतर पेश करना होता है प्रस्तुत प्रकरण मे सैम्पल को दिनांक 24.02.2023 को लिया गया था परन्तु परिवाद दिनांक 27.02.2024 को पेश किया गया हैं यानि 1 साल की मियाद निकालने के 3 दिन बाद इस कारण से प्रस्तुत प्रकरण धारा 77 के प्रावधानों के विपरित होने के कारण मियाद बाहर हैं, जिसका संज्ञान माननीय न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण धारा 77 के प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज होने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा आयुक्त खाद्य सुरक्षा से विलंभ की समय सींमा बढाने जैसा कोई दस्तावजे भी पेश नहीं किया है. ऐसे ही प्रकरण मे माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने फैसले दिनांक 09.09.2019 क्रिमिनल पिटिशन नं 262/2019 में अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा [illegible] के प्रावधान के उल्लंघन पर निम्नलिखित अवलोकन किया जो [illegible] शिकायत मियाद बहार होने के कारण खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत के साथ हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में कानून की स्थिति स्पष्ट है कि किसी प्रकार

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

का परिवाद या शिकायत माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसके साथ हलफनामा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिससे शिकायत पत्र मे दी गई जानकारी की तस्दीक हो सके। वर्तमान प्रकरण मे आवेदक द्वारा अपने शिकायत पत्र के साथ कोई हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे शिकायत पत्र की सत्यता और विश्वसनीयता का मूल्याकन किया जा सके। इस प्रकार. हलफनामा दाखिल न करने के कारण यह शिकायत प्रारंभ से ही दोषपुर्ण हो जाती है और कानूनी दृष्टिकोण से अमान्य मानी जाती है। इस कारण प्रस्तुत शकायतखारिज होने योग्य है।

प्रस्तुत प्रकरण मे अभियुक्त संख्या 4 कम्पनी का नॉमिनी है तथा कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिस कारण धारा 66 के तहत अभियोजन अभियुक्त संख्या 4 के विरुद्ध अपोषणीय होने के कारण खारिज होने योग्य है।

नियम 2.4.1.5 खाद्य सुरक्षा नियम के तहत यदि नमूना "open container" से लिया जाता है तो आवेदक द्वारा समान आर्टिकल जिस पर समान डिटेल अंकित हो तथा खरीद किए कंटेनर की वास्तविक स्थिति मे हो यानी सील्ड पैक्ड हो उसमें से भी नमूना लेना अनिवार्य है यदि समान आर्टिकल वास्तविक स्थति में उपलब्ध नहीं है तो उसे मौका फर्द रिपोर्ट पर अंकित करना होगा यह सब इसलिए अनिवार्य है जिससे नमूने से जुड़े सभी जानकारी जैसे कि shelf life निर्माता की डिटेल तथा FSSAI (Packaging and Labelling) Rules की जानकारी खाद्य विश्लेषक को उपलब्ध कराई जा सके जिससे कि नमूने से जुड़ी समस्त जानकारी प्रकरण का महत्वपूर्ण अंग बनी रहे, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में यह स्थिति साफ नहीं है कि जब नमूना खाद्य विश्लेषण के पास गया, उस वक्त वह एक्सपायर हो चुका था कि नहीं क्योकि प्रकरण में फॉर्म VA पर ना तो निर्धारित दिनांक है ना ही एक्सपायर डेट है एसे में संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है कि नमूना जिसदिन जांच हेतु लिया गया उस दिन एक्सपायर हुआ कि नहीं ऐसी त्रुटि के लिए किसी खाद्य कारोबारकर्ता को जिम्मेदार ठहरना उचित नहीं है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण खारिज होने योग्य है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते वक्त फार्म V(A) तैयार कर उसकी प्रतिलिपि सभी खाद्य कारोबारकर्ता को उपलब्ध करानी होती हैं। आवेदक द्वारा फार्म V(A) पर सभी खाद्य कारोबारकर्ता को नमूने को किसी Accredited NABL लैबोरेट्री से जॉच कराने के अधिकार के बाबत् अवगत कराना होता हैं। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म V(A) की प्रतिलिपि पर ना नमूने जिस open container से लिया उसका बैच सख्या, ना ही कंपनी का नाम, पता लिखा ऐसे में open container में किस कंपनी का तेल था इसकी तफ्तीश आवेदक द्वारा ना तो फर्द [illegible] ना ही फॉर्म VA पर लिखी ऐसी आशंकाओं में आवेदक द्वारा ऐसे को[illegible] किया जो साबित करता हो कि नमूने को अभियुक्त सख्या 4 की [illegible] किया हो इस तरह आवेदक द्वारा अभियुक्त संख्या 4 की कंपनी से नमूने का nexus [illegible]बित करने में असफल रहा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

गलत तरीके से अभियुक्त सख्या 4 को फसाया गया है. इसलिए प्रकरण खारिज होने योग्य है।

आवेदक को नियम 21.3 खाद्य सुरक्षां नियम के अनुसार योग्यता प्राप्त नहीं है अतः आवेदक द्वारा बिना योग्यता के कार्य किया जा रहा है इसलिए भी प्रस्तुत प्रकरण खारिज होने योग्य है।

आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सैम्पल जांच वास्ते अभियुक्त सख्या 1 से दिनांक 24.02.2023 लेना बता है आवेदक द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार 12 लीटर के तेल में से 2 लीटर तेल संग्रह करना बताया है तथा तेल के पीपे पर "Refined Soyabean oil(Best Choice)"लिखा होना बताया है, जबकि उपरोक्त वर्णित तेल अभियुक्त संख्या 4 की कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है ऐसी कोई जानकारी ना तो फॉर्म VA पर ना ही मौका फर्द रिपोर्ट पर दी गई है जबकि कंपनी के किए निर्मित तेल के पीपे पर कंपनी के नाम व पते की जानकारी दी जाती है ऐसे में आवेदक द्वारा यह साबित करने में असफल रहा है कि जो पीपे से तेल/ नमूना लिया गया है वह तेल/ नमूना अभियुक्त सख्या 4 की कंपनी द्वारा निर्मित माल था कि नहीं जबकि आवेदक पर दायित्व था कि यदि वह लूज में नमूना संग्रह कर रहा है तो इस बात की पुष्टि मौका फर्द रिपोर्ट पर करनी चाहिए थी कि जो नमूना संग्रह किया जा रहा है वह किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है।एसे कोई भी विक्रेता किसी भी कंपनी के खाली पीपे में यदि किसी भी अन्य कंपनी के तेल का बेचान कर रहा हो तो आवेदक की जिम्मेदारी थी कि ऐसे विक्रेता पर कार्रवाई करें वरना ऐसे प्रकरण दर्ज होगे तो कोई भी निर्माता कपनी सुरक्षित तरह से व्यापार नहीं कर सकेगी इसलिए भी प्रस्तुत प्रकरण नमूने की निर्माता कंपनी पर संदेह होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण खारिज होने योग्य है। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा नमूना संग्रह करते वक्त फॉर्म वीए (Form VA) तैयार किया गया जिसमे भी उसके द्वारा नमूने को किस कम्पनी द्वारा उत्पात किया गया इस सन्दर्भ मे कोई जानकारी नहीं लिखी गई थी। नमूना संग्रह करते समय व फॉर्म VA तैयार करते समय आवेदक की जिम्मेदारी थी कि वह विक्रेता से पुछताछ करता तथा निर्माता कंपनी बाबत मौके पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता परंतु नमूने से जुडी कोई उपयोगी जानकारी जैसे की ब्रांड का नाम, उत्पात की तारीख, एक्सपायरी की तारीख, उत्पात करने वाली कम्पनी का नाम इत्यादि बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गयी। फॉर्म VA में यह आवश्यक जानकारी नहीं होने के कारण यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि नमूना वास्तव में किस कपनी द्वारा उत्पादन किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त सख्या 4 की कंपनी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम और कानूनी दृष्टिकोण से इस नमूने के अवमानक स्तर पाए जाने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस कारण से प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्त सख्या 4 की हद तक खारिज होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा नमूना एक खुले तेल के पीपे मे 12 लीटर तेल मे से 2 लीटर तले लेना बताया है परन्तु आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया मे यह साफ नहीं किया कि उसके द्वारा डिब्बे मे से सही से चम्मच धुमा कर नमूना लिया गया हो चुकी आवेदक द्वारा एक खुले तेल के पीपे मे से नमूना stir करके संगृहित नहीं किया हैं इसलिए भी नमूने के

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

परिणाम गलत आ सकते हैं यदि नमूने को सही से stir किया जाकर लिया जाता तो परिणाम Iodine Value & Saponification Value की मात्रा + 2.472 व + 2.368 का अंतर है। यह अंतर खत्म हो जाता और नमूने के जांच परिणाम ठीक होते परंतु आवेदक द्वारा सम्पूर्ण कार्रवाई ठीक से नहीं की है, इसलिए भी सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण होने के कारण प्रकरण खारिज होने योग्य है।

मौका फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया जावे तो यह विदित होता है कि वह एक प्रिंटेड फॉर्म के ऊपर तैयार की गई है जिसमे उसके द्वारा केवल खाली स्थानों को भरा गया है मौका फर्द रिपोर्ट में आवेदक द्वारा केवल नमूने से संबधित जानकारी और अभियुक्त सख्या 1 की जानकारी ही लिखी गई थी। नमूना लेने की वास्तविक प्रक्रिया और उससे सबंधित सभी महत्वपुर्ण विवरण मौका फर्द रिपोर्ट में दर्ज नहीं किए गए हैं, जिससे नमूना लेने की प्रक्रिया पर प्रश्न खड़े करता है। यहाँ यह बताना उचित होगा कि मौका फर्द रिपोर्ट का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और स्पष्ट बताने के लिए होता है, ताकि किसी भी प्रकार की गलती या अनियमितता की सभावना न रहे। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे फर्द रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नमूना लेने की प्रक्रिया पुरी तरह से सही तरीके से नहीं अपनाई गई जिसकारण से प्रस्तुत प्रकरण खारिज होने योग्य है इसकश अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के नियम 2.4.1.1 व 2.4.1.2 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूना लेते वक्त 2 स्वतंत्र गवाह की जानकारी अंकित करना व स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है जिसे यह साबित हो सके की नमूना निष्पक्ष तरीके से लिया गया है और यदि उसके द्वारा 2 स्वतंत्र गवाह की जानकारी व 2 स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर Form VA पर नहीं लिया जाता तो उसके द्वारा की गयी समस्त प्रक्रिया शून्य मानी जावेगी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण नियम 2.4.1.1 व 2.4.1.2 के उल्ल्न के साथ पेश किया है जो कि खारिज होने योग्य है।

यह कि आवेदक द्वारा फॉर्म VA व फर्द रिपोर्ट पर नमूने की जानकारी के तौर पर नाम "Refined Soyabean Oil(loose)" अंकित किया था जिस पर कोई बैच संख्या, निर्माता कंपनी का नाम अंकित नहीं था। खाद्य विशेषज्ञ की रिपोर्ट में नमूने का विवरण "Refined Soyabean Oil(loose)" अंकित किया रिपोर्ट में ना तो बैच संख्या, निर्माता कंपनी का विवरण ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी है जो अभियुक्त सख्या 4 की कंपनी से नमूने को जोडे। खाद्य विश्लेषक ने रिपोर्ट में यह साफ अंकित किया है कि नमूना जिस Pet Bottle में मिला उस पर नमूने की कोई जानकारी "No Comments" नहीं थी। उपरोक्त वर्णित त्रुटियों से साफ है की खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अभियुक्त संख्या 4 की कंपनी को नमूने के साथ जोड़ने में विफल रही है, इसलिए भी प्रकरण खारिज होने योग्य है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद की मद. सं[illegible] वर्णित तथ्य साबित करते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त [illegible] की रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी ना ही अभियुक्त सख्या 4 को धारा 46 (4) [illegible] अन्तर्गत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौति देने वास्ते कोई नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त का कानूनी अधिकार है जिसके तहत उसके द्वारा खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को जरिए अपील अभिहित अधिकारी के समक्ष पेश कर नमूने की जांच रेफरल फूड लेबोरेटरी से करा सकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

था परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी के उपरोकत वर्णित कृत्य से अभियुक्त सख्या 4 को कानूनी अधिकार अंतर्गत धारा 46 (4) से वचित रखा गया जो कि कानून के प्रावधानों के विपरित है। इससे यह साबित होता है कि जो परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ हैं वह अभियुक्त सख्या 4 के मूल अधिकार अन्तर्गत धारा 46(4) के विपरित पेश हुआ हैं। इसकारण से परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 46 (4) के खिलाफ होने के कारण खारिज होने योग्य हैं।

आवेदक द्वारा मौके पर फॉर्म VA व फर्द रिपोर्ट तैयार करते वक्त नमूने के बैच सख्या अंकित नहीं किया तो अभियुक्त सख्या 1 लगायत 3 द्वारा जो बिल आवेदक को उपलब्ध कराए है वो इसी नमूने के है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी, परंतु आवेदक द्वारा मूल तथ्यों को नजर अंदाज कर प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्त सख्या 4 के विरुद्ध इस नमूने से बिना किशी सबतू के जोड़कर पेश किया है, इसलिए प्रकरण खारिज होने योग्य है।

यह कि अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा द्वारा बिना तथ्यों का अवलोकन करें mechanical तरीके से प्रस्तुत प्रकरण मे वाद अभियोजन स्वीकृति दी गयी है जो की गलत होने से भी प्रस्तुत प्रकरण खारिज होने योग्य है। अभियुक्त संख्या 4 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कोई उल्लघन नहीं किया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण खारिज होन योग्य है।

विभागीय पैरोकार ने प्रस्तुत परिवाद में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए मुख्य रुप से कथन किया कि दिनांक **24–02–2023** को 12.10 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स कृष्णा पेलेस फेमेली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 113, बाई पास कुपडा बांसवाडा (राज)** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **(विक्रेता/मेनेजर) श्री गजेन्द्र सिसोदिया पुत्र श्री रणजीत** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स कृष्णा पेलेस फेमेली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 113, बाई पास कुपडा बांसवाडा (राज)** का निरीक्षण करने पर संस्थान में खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस) एक तेल के पीपे में 12 लीटर किचन में रखा हुआ था। उक्त** खाद्य पदार्थ **में** मिलावट का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस) 2 लीटर** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 260/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस) 2 लीटर के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1310** प्रत्येक नमूना भाग पर [illegible] कोड प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक [illegible] भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने क[illegible] में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/217 दिनांक 04–04–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 202 दिनांक 03–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1310** Substandard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने के द्वितीय भाग की जांच करवाने बाबत् फार्म नं. 8 में आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) बांसवाडा को आवेदन प्रस्तुत नही किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने **मैसर्स– कृष्णा पेलेस फेमेली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 113, बाई पास कुपडा** को फर्म से सम्बन्धित सूचनाऐं चाहने हेतु पत्र लिखा जिसके जवाब में उक्त फर्म द्वारा **मैसर्स** Sanmati Associates, **बांसवाडा** से अग्रीम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया।

मैसर्स Sanmati Associates, **बांसवाडा** को फर्म से सम्बन्धित सूचनाऐं चाहने हेतु पत्र लिखा जिसके जवाब में उक्त फर्म द्वारा **मैसर्स** Padam Shree Enterprise old bus stand, Banswara से अग्रीम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया।

मैसर्स Padam Shree Enterprise old bus stand, Banswara को फर्म से सम्बन्धित सूचनाऐं चाहने हेतु पत्र लिखा जिसके जवाब में उक्त फर्म द्वारा **मैसर्स** Emami Egrotech limited, Kandla से अग्रीम माल खरीद बिल प्रस्तुत किया।

विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं. 4 के अधिवक्ता का मुख्य रुप से यह उज्र रहा कि "प्रकरण में आवेदक द्वारा सैम्पल दिनांक 24.02.2023 को लिया गया था। धारा 77 के तहत किसी भी सैम्पल जिसे जांच वास्ते खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया हो उसका परिवाद नमूना सग्रहित करने की दिनांक से धारा 68 के अंतर्गत एक साल के भीतर पेश किया जाना है प्रस्तुत प्रकरण मे सैम्पल को दिनांक 24.02.2023 को लिया गया था परन्तु परिवाद दिनांक 27.02.2024 को पेश किया गया हैं यानि 1 साल की मियाद निकालने के 3 दिन बाद पेश करने से प्रस्तुत प्रकरण धारा 77 के प्रावधानों के विपरित होने के कारण मियाद बाहर है, जिसका संज्ञान माननीय न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता।" इस सन्दर्भ में यह कि यह परिवाद दिनांक 22.02.2024 को इस न्यायालय में पेश किया गया है, जो कि अन्दर म्याद है। परिवाद की जांच के पश्चात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

इस न्यायालय में प्रकरण दिनांक 27.02.2024 को दर्ज किया गया है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस. ए/2023/217 दिनांक 04–04–2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 202 दिनांक 03–03–2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1310** Substandard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards act 2006 पाया गया। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (बेस्ट च्वाईस)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगण **(मालिक) श्री गिरिश जोशी पुत्र श्री गणेश लाल जोशी मैसर्स– कृष्णा पेलेस फेमेली रेस्टोरेन्ट, नेशनल हाईवे 113, बाई पास कुपडा बांसवाडा, श्री आयुष जैन पुत्र श्री विरेन्द्र जैन (विक्रेता/मालिक) निवासी बाहुबली कोलोनी बांसवाडा मैसर्स–** Sanmati Associates, **बाहुबली कोलोनी चेतक कोम्पलेक्स, बांसवाडा, श्री संजय कुमार पांचोरी पुत्र श्री अमृत लाल जैन (विक्रेता/मालिक) निवासी 116, सेक्टर 2 खांदू कोलोनी, बांसवाडा मैसर्स–** Padam Shree Enterprise old bus stand, Banswara, Gajera Devendra kumar **(नोमिनी) मैसर्स** Emami Egrotech limited, Kandla **को रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र)से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 12–05–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.22 11:33:58 IST
Reason: SelfAttested